कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
दूरभाष– 2236685– फैक्स–0771–2224476,2236684,
Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

//प्रेस विज्ञप्ति//

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2018 की स्थिति में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2018 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ किया जाकर, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक दावे/आपत्ति सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त अविहीत अधिकारियों के माध्यम से किया जावेगा। विशेष अभियान के तहत् दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक घर–घर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से सर्वे किया जावेगा ।

आयोग द्वारा इस विशेष अभियान के मुख्य उद्देश्य अर्हता रखने वाले नागरिकों का अधिकतम् पंजीयन, मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाना, पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों की गुणवत्तापूर्वक व व्यवस्थित रूप से बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाना है। साथ ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण/अनुकूलन के संबंध में जानकारी, परिवार की जानकारी जैसे–मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी/GIS Coordinates की जानकारी इत्यादि प्राप्त किया जावेगा। इस दौरान अर्हता तिथि 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे नागरिकों अर्थात् भविष्य के मतदाताओं का चिन्हांकन भी किया जावेगा ।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 के दौरान बूथ BLO रजिस्टर के डाटा की प्रविष्टि मोबाईल एप से किये जाने हेतु BLO Net Launch किया गया है । प्रदेश में Pilot प्रोजेक्ट के रूप में 05 विधानसभाओं (1) अबिंकापुर–10, (2) भिलाई नगर–65, (3) बिलासपुर–30, (4) जगदलपुर–86, (5) रायपुर नगर पश्चिम–49 का चयन किया गया है। यहॉ मतदाताओं की जानकारी मोबाईल एप के माध्यम से एकत्रित की जावेगी ।